न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 63/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
खेताराम पुत्र भीकाराम जाति ओड बेलदार निवासी गगवाना तहसील व जिला नागौर।		1 राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, नागौर। 2 पटवारी गगवाना तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:20.12.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 8/2014 सरकार बनाम खेताराम में निर्णय दिनांक 16.09.15 के तहत मौजा गगवाना के खसरा नं. 56 रकबा 5 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.10.15 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 03.11.15 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–विवादग्रस्त भूमि की किस्म गै.मु. मगरा है तथा भूमि काबिल कास्त भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा संवत 2010 के पहले से ही अपने पिता व दादा के जरिये लगातार काश्त की जाती रही है तथा अपीलार्थी को कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नही किया गया। ऐसी स्थिति में संवत 2010 से पहले से ही निरन्तर कब्जा काश्त होने से व भूमि काबिल काश्त होने से व राज. टिनेन्सी एक्ट लागू होते समय व लागू होने के पहले से निरन्तर कब्जा काश्त रहता आने से अपीलार्थी को उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा भूमि गै.मु. मगरा है जो धारा 16 राज. टिनेन्सी एक्ट व विधि के अन्य प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार देने व नियमन आवंटन करने से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नही आती है तथा अपीलार्थी एक अनुसूचित जाति का भूमिहीन काश्तकार खेतीहर मजदूर है जिसके नाम से किसी भी प्रकार की खातेदारी की भूमि नहीं है तथा भूमि नियमन व आंवटन हेतु एक योग्य व्यक्ति है जिसके नाम से उक्त भूमि आवंटित व नियमित की जानी आवश्यक है। चूंकि लगातार कब्जा काश्त होने से अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये भी अपीलार्थी उक्त भूमि को खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी हो गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही गै.मु. मगरा को प्रतिबंधित भूमि व खनिज योग्य भूमि होना मानकर नियमन योग्य नही होना मानते हुए गलत आदेश पारित किया है। जो निर्णय विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने भूमि का नियमन या आवंटन करने का निवेदन किया व इस हेतु प्रकरण नियमन सलाहकार समिति के समक्ष भिजवाने का निवेदन किया था। चूंकि भूमि नियमन आवंटन योग्य है तथा अपीलार्थी भूमिहीन अनुसूचित जाति का खेतीहर मजदूर काश्तकार है तथा आवंटन नियमन के लिये एक योग्य व्यक्ति है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में भूमि नियमन योग्य मानकर प्रकरण नियमन की सिफारिश के साथ सलाहकार समिति के समक्ष भिजवाया गया जिस पर भूमि नियमन योग्य होना नही मानकर सलाहकार समिति ने प्रकरण को लौटा दिया जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी नागौर ने भूमि को नियमन योग्य मानकर पुनः जांच कर भूमि नियमन योग्य होने पर नियमन सलाहकार समिति के समक्ष पत्रावली भेजने के निर्देश के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। जिसके अनुसार भी अपीलार्थी भूमि नियमन करवाने का अधिकारी था व नियमानुसार अपीलार्थी भूमिहीन

अपर कलक्टर, नागौर

खेतीहर काश्तकार व मजदूर होने व अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से भूमि नियमन करवाने का अधिकारी था व माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने सिफारिश के समय नियमन का अधिकारी होने व भूमि नियमन योग्य बाबत जांच करने का निर्देश दिया था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत कोई जांच नही की व बिना जांच के ही भूमि नियमन योग्य नही होना मानकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया। जबकि जिस समय अपीलार्थी को कब्जा रहा। उस समय उक्त भूमि खनिज संभावित क्षेत्र की श्रेणी में नही आता था। इसलिये अपीलार्थी नियमन करवाने का पात्र था व है इसलिये प्रकरण को उक्त भूमि नियमन आवंटन हेतु जिला स्तरीय नियमन सलाहकार समिति के समक्ष भिजवाया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही गलत रूप से निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से साक्ष्य भी पेश की व मौके पर काबिल काश्त भूमि है जिस पर पुरातन कब्जा है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी साबित है। साथ ही अपीलार्थी अथवा उसके किसी भी परिजन के नाम से खातेदारी की भूमि स्थित नही होने के संबंध में भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट है तथा विवादित भूमि काबिल काश्त है। जिस पर शुरू से कब्जा होना अपीलार्थी का साबित है। ऐसी स्थिति में भूमि काबिल नियमन भूमि है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य पर गौर किये बिना ही गलत रूप से निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में निर्णय विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संबंध में किसी भी प्रकार की साक्ष्य नही ली गई। न ही पटवारी हल्का की जिरह का अवसर दिया गया तथा अपीलार्थी को भी साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर पर्याप्त रूप से नही दिया है। उक्त प्रकरण पटवारी हल्का की मौका व रेकर्ड की स्थिति की रिपोर्ट हेतु लंबे समय तक विचाराधीन रहा तथा पुनः रिपोर्ट हेतु प्रकरण विचाराधीन रहा तथा सबूत पेश करने का बिना पर्याप्त अवसर दिये व न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा मंगवायी गई मौका रिपोर्ट के संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लेख किये बिना ही व किसी प्रकार का विवेचन किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिये निर्णय विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा जिन बिन्दुओं पर प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया। उनके संबंध में किसी भी प्रकार की सुनवायी नही की व नही किसी प्रकार का विवेचन किया व तथ्यों से हटकर गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा गगवाना में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अद्योपांत अध्ययन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके गगवाना के खसरा नंबर 56 रकबा 5 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसका नियमन/आवंटन किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भी किया हुआ है। इसके अलावा यह भूमि खनन संभावित क्षेत्र के लिये आरक्षित भी है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/18

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
नागौर